नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.12.2022 को नौएडा प्राधिकरण के नौएडा ट्रैफिक सैल एवं पुलिस प्रशासन के मध्य संयुक्त बैठक आहूत कर नौएडा क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गों पर स्पीड लिमिट को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। बैठक में श्री एस0पी0 सिंह, उप महाप्रबन्धक (नौएडा ट्रैफिक सैल), श्री गणेश शाह, पुलिस उपायुक्त (यातायात), श्री ए0एस0 शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक (नौएडा ट्रैफिक सैल), श्री आशुतोष, पुलिस निरीक्षक (यातायात) आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अत्यधिक सर्दी पड़ने एवं कोहरा होने के दृष्टिगत् जन मानस की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने हेतु नौएडा प्राधिकरण एवं पुलिस प्रशासन द्वारा नौएडा–ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे एवं नौएडा के अन्य मुख्य मार्गों पर स्पीड लिमिट निर्धारित करने का निर्णय लिया गया, जोकि निम्नानुसार है–

मार्ग	स्पीड लिमिट
नौएडा–ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस–वे	75किमी0 / घंटा
एम0पी0–1, एम0पी0–2, एम0पी0–3, डी0एस0सी0 मार्ग, 75मी0 चौड़ी सड़क, रोड नं0–6 एवं अन्य मुख्य मार्ग।	60किमी0 / घंटा

उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाहन चालकों द्वारा उपरोक्त गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा चालान भी काटे जायेंगे। सभी मुख्य मार्गों पर इस आशय के चेतावनी/सूचक बोर्ड लगाये जाने हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक, नौएडा ट्रैफिक सैल को निर्देशित किया गया। चालान काटे जाने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा की जायेगी।